

## बिल का सारांश

### आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2026

- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2026 को 1 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट, 2014 में संशोधन करना है। एक्ट में पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को दो राज्यों- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पुनर्गठित करने का प्रावधान है।
- **आंध्र प्रदेश की राजधानी:** एक्ट में प्रावधान है कि हैदराबाद 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी रहेगा, जिसके बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन जाएगा और आंध्र प्रदेश के लिए किसी दूसरे शहर को राजधानी बनाया जाएगा। बिल में कहा गया है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगा।

**डिस्क्लेमर:** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।